केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which Application is made for copy accompained by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of Posting notice of notice board	नकल वापिस लिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
22/6/22	29/6/22	29/6/22	29/6/22

नकल आदेश दि० 30/6/05 [illegible] S.D.O. [illegible]

117 [illegible] 143 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 30/6/05

प्रबन्धक / सचिव
गणपति एजूकेशनल सोसायटी
देवकाली-अयोध्या

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर (जनपद–फैजाबाद)

रामसागर——————————बनाम——————————सरकार।

वाद संख्या– 117
अन्तर्गत धारा– 143 ज0वि0अ0
ग्राम–देवकाली (बा.न.पा.), परगना–हवेली अवध।
तहसील– सदर, जनपद–फैजाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री रामसागर पुत्र शिवनरायन, निवासी देवकाली तहसील सदर फैजाबाद के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.09 के आधार पर इस आशय से प्रारम्भ हुई कि गाटा संख्या 357 मि0 रकबा 0.506 है0 स्थित ग्राम देवकाली मौके पर आबादी की शक्ल मे है और अकृषिक रूप मे प्रयोग किया जा रहा है। उक्त गाटे को आबादी घोषित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 22.06.09 को प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया।

तहसीलदार सदर की प्राप्त स्थलीय एवं अभिलेखीय आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रदत्त की गयी आख्या मे यह कहा गया है कि गाटा संख्या 357 मि0 रकबा 0.506 है0 भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है तथा कृषि कार्य नही हो रहा है। धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट दी गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि देवकाली की गाटा संख्या 357 मि0 रकबा 0.506 है0 वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप मे अंकित है। वादी द्वारा उक्त गाटे को आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र शपथ पत्र तथा स्थल का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार सदर द्वारा दी गयी स्थलीय एवं अभिलेखीय आख्या के अनुसार उक्त गाटा को मौके पर आबादी के रूप मे प्रयोग किया जा रहा है। इस पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा किसी की ओर से कोई आपत्ति भी नहीं आयी है। ऐसी स्थिति मे उक्त विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम देवकाली परगना हवेली अवध की गाटा संख्या 357 मि0 रकबा 0.506 है0 को अकृषिक घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि खाते को परता मुताबिक लगान मुक्त किया जाय तथा भूचित्र मे इस रकबे को अलग रंग से दिखाया जाय और मौके पर चिन्हांकित भी किया जाय। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर को अनुपालनार्थ प्रेषित किया जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(एस0एन0उपाध्याय)
उपजिलाधिकारी,
सदर–फैजाबाद

राजस्व अभिलेखागार
नकल तैयार कर्ता
नकल मिलान कर्ता
(अभिलेख पालिका)
राजस्व अभिलेखागार

प्रबन्धक / सचिव
गणपति एजूकेशनल सोसायटी
देवकाली-अयोध्या

राजस्व अभिलेखागार अयोध्या
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखागार–अयोध्या
दिनांक 29/6/2022

श्रीमान तहसीलदार महोदय सदर अयोध्या

प्रमाणपत्र जारी किये जाने
प्रमाणपत्र
गाटा सं० 357
ग्राम देवकाली वा० गणेशपुर
प० हवेली अवध त० सदर
जनपद अयोध्या उ०प्र०
के बीच कोई नाली चकरोड
नहीं है।

महोदय,
प्रार्थी के आवेदन में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करें कि गाटा सं० 357 के अन्दर कोई चकरोड नाली इत्यादि ग्रामसभा/सरकार की सम्पत्ति नहीं है। उक्त प्रमाणपत्र निर्गत कराया जाना जरूरी है क्योंकि उक्त भूमि में उसकी आवश्यकता है। भूमि विवाद रहित है मेरे गाटे में उसके मध्य नाली, चकरोड, रास्ता, कब्रिस्तान, श्मशान जलमग्न भूमि नहीं है

अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी
राम सागर
पुत्र स्व० शिवनारायण
नि० देवकाली
प० ह० अवध
त० सदर
अयोध्या
उ०प्र०

राजस्व लेखपाल
हल्का/प्रभारी कानूनगो
04.07.2022
रि० (J)

महोदय,
गा० सं० 357 क्षे० 2.146 स्थित ग्राम देवकाली (ब.हा.प.) प० ह० अ० त० सदर अयोध्या राजस्व अभिलेखों में राम सागर आदि के नाम सं० भू० अंकित है। उक्त गाटे में कोई नाली, चकरोड, रास्ता, कब्रिस्तान, श्मशान, जलमग्न भूमि नहीं है। राम सागर

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

महोदय
राजस्व निरीक्षक/कानूनगो

लेखपाल
ग्रा० देवकाली
04.7.2022

प्रबन्धक / सचिव
गणपति एजूकेशनल सोसायटी
देवकाली-अयोध्या

तहसीलदार